अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1931

(1931 का अधिनियम संख्यांक 16)[1]

[28 सितम्बर, 1931]

सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से सम्बन्धित विधेयकों के उपबन्धों को सीमित अवधि के लिए तुरन्त प्रभावी करने का उपबन्ध करने वाली विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम

सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से सम्बन्धित विधेयकों के उपबन्धों को सीमित अवधि के लिए तुरन्त प्रभावी करने वाली विधि का संशोधन करना समीचीन है ;

इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1931 है ।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में, "घोषित उपबन्ध" से किसी ऐसे विधेयक का उपबन्ध अभिप्रेत है, जिसकी बाबत धारा 3 के अधीन कोई घोषणा की गई है ।

3. इस अधिनियम के अधीन घोषणा करने की शक्ति—जहां सरकार की ओर से [2][संसद्] में पुर: स्थापित किया जाने वाला कोई विधेयक सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि के लिए उपबन्ध करता है वहां, केन्द्रीय सरकार उस विधेयक में यह घोषणा अन्त:स्थापित करवा सकेगी कि लोकहित में यह समीचीन है कि विधेयक का ऐसे अधिरोपण या वृद्धि से सम्बन्धित कोई उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होगा ।

4. इस अधिनियम के अधीन की घोषणाओं का प्रभाव और उनकी अस्तित्वावधि—(1) घोषित उपबंध को, उस दिन की समाप्ति होते ही तुरन्त विधि का बल प्राप्त हो जाएगा जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबंध आता है ।

(2) घोषित उपबंध का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधि का बल तब समाप्त हो जाएगा,—

(क) जब वह, संशोधन सहित या रहित, अधिनियमिति के रूप में प्रवृत्त हो जाए, अथवा

(ख) जब केन्द्रीय सरकार, [2][संसद्] [3]*** द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे दे कि उसका विधि का बल समाप्त हो जाएगा, अथवा

(ग) यदि खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उसका विधि का बल पहले ही समाप्त नहीं हो गया है तो, जब उस दिन के पश्चात् [4][पंचहत्तरवां दिन] समाप्त हो जाए जिस दिन वह विधेयक पुर: स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबन्ध आता है ।

5. जब घोषणाओं का प्रभावी होना समाप्त हो जाता है जब कतिपय धनराशियों का वापस किया जाना—(1) जहां कोई घोषित उपबन्ध संशोधित होकर किसी अधिनियमिति के रूप में उस दिन के पश्चात् जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबन्ध आता है, [4][पचहत्तरवें दिन] की समाप्ति के पूर्व प्रवृत्त होता है वहां, सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, जो, यदि अधिनियमिति में अंगीकृत उपबन्ध घोषित उपबन्ध होते तो, संगृहीत नहीं किए जाते :

परन्तु वह दर, जिस पर इस उपधारा के अधीन कोई शुल्क वापस किया जाए, घोषित उपबन्ध में प्रस्तावित ऐसे शुल्क की दर और विधेयक पुर:स्थापित करने के समय प्रवृत्त ऐसे शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहां किसी घोषित उपबंध का धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन विधि का बल समाप्त हो गया है वहां सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे जो, यदि उस उपबंध के बारे में घोषणा न की गई होती तो, संगृहीत नहीं किए जाते ।

6. [निरसन ।]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित ।

———

[1] यह अधिनियम बरार पर बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा ; 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर (उपान्तरणों सहित) ; 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर ; 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर और अधिसूचना सं० सा० का० नि० 392, तारीख 27-2-1963 द्वारा पांडिचेरी पर विस्तारित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केन्द्रीय विधान-मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "के किसी भी सदन" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1964 के अधिनियम सं० 45 की धारा 2 द्वारा (1-2-1965 से) "साठवें दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।